न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 58/2024

श्री दुर्गालाल पुत्र कल्याण जाति धोबी निवासी वार्ड नम्बर 19 नसिया कॉलोनी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी राज0 अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 03.12.2024

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1 दुर्गालाल पुत्र कल्याण धोबी तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 ग्राम माकरवाडी राजस्व रिकार्ड मे कल्याण पुत्र भूरा कोम धोबी खसरा नम्बर 116/2/2, 123/1/3, 199/1/1/2 सम्बत 2029 –2032 खातेदार सुन्दर पुत्र कल्याण

2 दुर्गालाल, बाबु पुत्र कल्याण कोम धोबी पुत्रिया कल्याण धापु गुलाब प्रेम खातेदार की नक्शा ट्रैस की प्रति एवं सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रतिया दी जावे।

3 वर्तमान मे जमीन का सीमाज्ञान करके प्रार्थी को जमीन की वास्तविक स्थिति जिस पर किस व्यक्ति का कब्जा बना हुआ लिखित में जानकारी की सत्य प्रति दी जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक को पत्र कमांक 1507 दिनांक 14.10.2024, 1578 दिंनाक 25.10.2024, 1662 दिनांक 12.11.2024, 1684 दिनांक 21.11.2024 व 1735 दिनांक 28.11.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)